

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 मई 2026 — वैशाख 31, शक 1948

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-58/राजस्व/राहत/2025.— आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रं. 53 सन् 2005) (आपदा प्रबंधन संसोधन अधिनियम, 2025 के अनुसार) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (झक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लेखित, निम्नलिखित विभाग को अधिसूचित करती है, जिनके पास उक्त अधिनियम की धारा 36 के अनुसार अन्य संबंधित एजेंसियों या हितधारकों के सहयोग से, उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित आपदाओं से उत्पन्न विभिन्न खतरों से होने वाली हानियों व आपदा के संबंध में निगरानी, पूर्व चेतावनी, रोकथाम, शमन, तैयारी, और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी होगी, अर्थात् :-

तालिका

क्रं	राज्य-विशिष्ट आपदा	नोडल विभाग
(1)	(2)	(3)
1	(क) आकाशीय बिजली से हुई दुर्घटना	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
	(ख) गड्ढे में गिरकर डूबने से हुई मृत्यु	
	(ग) अतिवृष्टि एवं आंधी-तूफान से हुई दुर्घटना	
2	(क) सर्पदंश, बिच्छु, गुहेरा, मधुमक्खी के काटने से हुई दुर्घटना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
	(ख) लू के कारण हुई दुर्घटना	
3	(क) नदी, तालाब, बांध, कुआं, नहर, नाला में डूबने से हुई मृत्यु	नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ, एसडीआरएफ
	(ख) नाव दुर्घटना	
	(ग) रसोई गैस का सिलेण्डर या स्टोव फटने से हुई अग्नि	

	दुर्घटना	
4	वनों में होने वाली अग्नि दुर्घटना	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
5	कृषि योग्य भूमि एवं बागवानी भूमि में होने वाली अग्नि दुर्घटना	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
6	खदान धसकने से हुई दुर्घटना	खनिज विभाग
7	(क) आकाशीय बिजली से पशुओं को हुई हानि (ख) सर्पदंश, बिच्छु, गुहेरा, मधुमक्खी के काटने से पशुओं की हुई मृत्यु	पशुधन विकास विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st May 2026

NOTIFICATION

No. F 1- 58/Revenue/Relief/2025.— In exercise of powers conferred by clause (ia) of sub-section (2) of Section 38 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) (as per Disaster Management Amendment Act, 2025), the State Government hereby notifies the following Department of the State Government as mentioned in column (3) of the Table below which shall have the responsibility for monitoring, early warning, prevention, mitigation, preparedness and capacity building with regard to disaster arising from various hazards, against the disasters mentioned in column (2) of the said Table, in collaboration with other related agencies or stakeholders in accordance with section 36 of the said Act, namely :-

TABLE

S.No.	Disaster	Department
(1)	(2)	(3)
1	(a) Lightning (b) Drowning in the pit (c) Heavy Rainfall and Storm	Revenue and Disaster Management Department
2	(a) Snake, Scorpio, Monitor lizard, Honey bee bite (b) Heat wave	Health and Family Welfare
3	(a) Drowning in river, pond, dam, well, canal, sewerage (b) Boat accident (c) Fire accident due to Explosion of LPG gas cylinder or Stove	Home guards, Fire Safety and Emergency Services, SDRF
4	Forest Fire	Forests and Climate Change
5	Fire accidents in agricultural and horticultural land	Agriculture and Farmers Welfare
6	Mines collapse	Mines department
7	(a) Animal death due to lightning (b) Animal death due to Snake, Scorpio, Monitor lizard, Honey bee bite	Animal husbandry

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARVIND KUMAR EKKAR, Joint Secretary.